



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1216 /2026/493/22-02-2026-17(213)/2026
लखनऊ: दिनांक: 22 सितम्बर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार सीतापुर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी भन्ना उर्फ अजीज (बन्दी सं0-374/2023) पुत्र श्री ठकुरी, ग्राम-मलिकानपुर, थाना-मिश्रिख, जनपद-सीतापुर का निवासी है, जिसे एस0टी0नं0-986/2011 में धारा-498ए, 302 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०(ओ०ए०डब्लू०), सीतापुर के दण्डादेश दिनांक 15.12.2023 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2025 तक अपरिहार 02 वर्ष, 10 माह, 25 दिन तथा 03 वर्ष, 04 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1216 /2026/493(1)/22-2-2026 एवं तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
- 3- पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
- 4- अधीक्षक, जिला कारागार सीतापुर।
- 5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।